झारखंड सरकार

जल संसाधन विभाग।

आ॰सं॰–8 / ज॰स॰(नि॰)विविध– 16 / 2014:– रॉंची, दिनांक:–

आदेश

श्री अरूण कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, रूपांकण प्रमण्डल संख्या– 02, मेदिनीनगर के विरूद्ध कई विभागीय पत्रों एवं समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से प्रभार ग्रहण करने हेतु निदेश दिये जाने के बावजूद प्रभार ग्रहण नहीं करने के आरोप में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2532 दिनांक 08.08.14 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 5412 दिनांक 18.12.14 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

3. श्री अरूण कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री कुमार के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री कुमार को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया:–

(I) निन्दन।

(Ii) दिनांक 03.03.05 से उनके Fresh पदस्थापन होने के उपरान्त पदस्थापित स्थान पर योगदान की तिथि से एक दिन पूर्व तक की अनुपस्थित अवधि के लिए कोई वेतनादि अनुमान्य नहीं होगा।

(Iii) उक्त अवधि गैर पेंशन प्रदायी एवं सेवा में टूट मानी जायेगी।

अतएव एतद द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0 / –
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव (नि॰)।

ज्ञापांक:– 2210 / रॉंची, दिनांक:– 6-5-15

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, झारखंड, रॉंची / माननीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर / अधीक्षण अभियंता, गुण नियंत्रण अंचल, मेदिनीनगर / संयुक्त सचिव (प्र॰), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची / श्री अरूण कुमार, कार्यपालक अभियंता, गुण नियंत्रण प्रमण्डल, मेदिनीनगर / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.5.15
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव(नि॰)।

6.5.15